न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18/2026
प्रविष्टि दिनांक 24.02.2026

जगदीश पुत्र किशनलाल मीना निवासी रोशनपुरा तहसील अलीगढ जिला टोंक राज.
—अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला टोंक राज.
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 09.01.2026 मिसल नम्बर 385/2026

उपस्थिति : (1) श्री रोमेन्द्र गुर्जर,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> **दिनांक** 06.05.2026

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2026 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 239/399 मे से रकबा 0.01 है0किस्म नहरी वाके ग्राम कोटडी तहसील अलीगढ में राजकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 100/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण नही किया है। अपीलांट का उक्त आराजी से कोई संबंध अथवा सरोकार नही है। अपीलांट द्वारा मौके पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 239/399 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म नहरी वाके ग्राम कोटडी तहसील अलीगढ में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है।अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 239/399 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म नहरी वाके ग्राम कोटडी तहसील अलीगढ पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 652/2025 निर्णय दिनांक 31.10.2025 से भूमि से बेदख़ल किया गया है। अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 09.01.2026 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर, टोक
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)